

कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 218 / दो-11-4 / 20

नर्मदापुरम, दिनांक 19.02.2025

श्रीमती वंदना नाहरिया, साक्ष्य लेखक न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सोहागपुर का दिनांक 23.02.2026 से 28.02.2026 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में 178 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।
- 2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

वास्ते— प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

पृ0क0 361 / दो-11-4 / 20

नर्मदापुरम, दिनांक 19.02.2025

यथाआदेश प्रतिलिपि:—

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सोहागपुर की ओर सूचनार्थ एवं श्रीमती वंदना नाहरिया, साक्ष्य लेखक को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

वास्ते— प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
नर्मदापुरम, (म.प्र.)